

राष्ट्र चिंतन: और महात्मा गांधी

प्रा. डॉ. रफिक बा. शेख

(इतिहास विभाग प्रमुख)

एस. एस. एन. जे. महाविद्यालय देवली, जि- वर्धा

प्रस्तावना :

गांधीजी भारत के एक महान राष्ट्र नेता थे , साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय दृष्टीसे भी बहुत उंचे नेता थे। उनकी शिक्षाओं और प्रवृत्तियों का कोटी-कोटी व्यक्तियों पर गहरा असर पड़ा। उनका प्रभाव केवल सरकारी मामलों में ही नहीं था, बल्कि आत्मिक क्षेत्र में भी था। दुर्भाग्य से वे उन आदर्शों की पूर्ण प्राप्ति अपने जीवन काल में नहीं देख सके, जिसके लिये उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन उनका जीवन और उनके कार्य युग -युग तक उनका सर्वोत्तम स्मारक रहेंगे। भारत तथा सारे संसार में प्रेम और भातृत्व की भावना, जिसके कि वे सबसे बड़े प्रवक्ता थे और जिनके लिए वे शहीद हो गए। उनकी आवश्यकता पहले उतनी कभी अनुभव नहीं की गई थी, जितनी आज की जा रही है। उनका जीवन पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित था। उनके राष्ट्रचिंतन में समाज की तथा देश के हित की विस्मयकारी झाँकी दिखाई देती है। जो आज के भारत के लिये यथायोग्य और सटीक है।

म. गांधी की रामराज्य की संकल्पना :-

रामराज्य स्वराज्य का आदर्श है। इसमें धर्म, न्याय, प्रेम अहिंसा और जनता का स्वराज्य अंतर्भूत है। रामराज्य में एक ओर अथाह संपत्ति और दूसरी ओर करुणाजनक फाकेकशी नहीं हो सकती। उसमें कोई भूखा मरनेवाला नहीं हो सकता। उस राज्य का आधार पशुबल न होकर लोगों के प्रेम, समझबुझ पर और बिना डराए हुए सहयोग पर अवलंबित होगा। उसमें धर्म, वर्ण और वर्ग समान भाव से मिलजुलकर रहेंगे और धार्मिक कलह नहीं होगा। उस राज्य में स्त्री का पद पुरुष के समान ही होना चाहिए। कोई मेहनत करते हुए भुखे मरने वाला न होगा। अन्न और वस्त्र के विषय में लोग स्वाधीन होंगे। दूसरे राष्ट्रों के साथ मीत्र भाव से रहेंगे। उसमें लोग केवल लिख पढ़सकने वाले नहीं होंगे बल्कि सच्चे अर्थ में शिक्षा पाए हुए होंगे। अर्थात् उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो मुक्ति देनेवाली और मुक्ति में स्थिर रहने वाली हो। युद्ध जैसी चीज न रहकर सारे मतभेद विरोध झगड़े अहिंसक मार्ग से ही निपटा करेंगे। यह एक ही देश या जनता के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिये उत्तम राज्य का आदर्श है।'

राष्ट्रभाषा हिन्दी की अनिवार्यता :

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार को गांधीजी एक पुनीत राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य मानते थे। उनके लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी राष्ट्रीय एकता की मजबूत कडी थी। राष्ट्रभाषा के बिना वह राष्ट्र को गुंगा मानते थे। अंग्रेजी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ति और कितना श्रम बर्बाद होता है, इसकी कल्पना कर बापू थर्रा जाते थे। वर्धा में संपन्न होनेवाले “वर्धा शिक्षा योजना” के प्रथम अधिवेशन में कहे गए उनके शब्द स्वराज्य प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी अपना महत्व रखते है, “मैं अपने देश के बच्चो के लिये यह जरूरी नहीं समझता कि, वे अपनी बुद्धि के विकास के लिये एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों का न्हास होने दे।”²

राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिये हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो इसके लिये, गांधीजीने पहली सशक्त आवाज 18 अगस्त 1960 को दक्षिण अफ्रिका से चार भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र “इंडियन ओपिनियन” के माध्यम से उठायी थी। इसमे उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में एक पृष्ठ का लेख लिखा था, जिसका शिर्षक था, “भारत भारतीयों के लिये।” इसमे उन्होंने हिन्दी को लोगों की राष्ट्र भावना से जोड़ते हुए इसकी खुशियाँ गिनायी थी। उन्हीं के शब्दों में, “जब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों में से ज्यादातर लोग एक ही भाषा नहीं बोलेंगे तब तक वास्तविक रूपमें भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता।” अपनी बात स्पष्ट करते हुये, हिन्दी को उन्होनें मिठी, नम्र और ओजस्वी स्वीकार किया।³

भारतीय स्त्रियों का पुनरुत्थान :

महिला विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गांधीजी इस सत्य से पूरी तरह अवगत थे और इसलिए उनका मानना था कि, विकास की धारा से यदि स्त्रियों को नहीं जोड़ा गया तो विकास की परिकल्पना कभी साकार नहीं हो सकेगी। अतएव “यंग इंडिया” में उन्होने स्त्रियों के अधिकारों पर काफी बल देते हुए लिखा था, “स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता मेरी रायमें उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। इस समानता को गांधीजी ने केवल सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया। बल्कि व्यवहार में भी चरितार्थ भी किया। इसका जीता जागता उदाहरण गांधीजी के आश्रम का है। महिलाओं की राजनीतिक क्षमता की प्राप्ति में जिन दो प्रमुख शक्तियोंने उत्प्रेरकों का काम किया। वह था राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का सफल नेतृत्व। गांधीजीने महिलाओं मे भी उस शक्ति का आभास पाया जो, पुरुष जाती मे निहित होने के कारण उसे उच्चता प्रदान किए हुए है



। इसलिए उनके विचार में महिला पुरुष जाती के समान सशक्त और सक्षम है। उनके मानस -पटल में यह बात स्पष्ट रूप में थी कि, महिला सशक्तीकरण केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक, परम्पराओं को सुदृढ़ करने तथा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की पूर्व शर्त भी है। उन्होंने जिस बात का स्वप्न देखा था। वह अधिकारों का समान अवसर और समान भागीदारीवाली अधिक न्यायोचित और मानवीय दुनिया की दिशा में की जा रही, यात्रा का एक कदम भर है, क्योंकि जब किसी महिला का विकास होता है, तो उसके परिवार समाज का भी विकास होता है, क्योंकि परिवार समाज के विकास पर ही प्रदेश, देश एवं विदेशों को लाभ मिलना संभव है। इसलिए नारीशक्ति के विकास की दिशा को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे कदम बढ़ाये।⁴

सांप्रदायिक एकता की आवश्यकता :-

म. गांधी भारत की सांप्रदायिक एकता को मानवता के लिए एक मिसाल बना देने के आकांक्षी थे। वे जानते थे कि भारत विविध धर्म, जातियों और सांप्रदायों का देश है, जब तक उनमें परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता का भाव नहीं रहेगा, देश उन्नति नहीं कर सकता। उनकी दिन-रात यही कामना रहती थी कि, उनके सपनों का भारत एक ऐसे मनोहर उपवन के तुल्य बने, जिसमें विविध धर्म और संप्रदाय सुवासित पुष्प की भाँति सुरभित हो। भारतीय राजनीति में जिस विषाक्त सांप्रदायिक त्रिभूज का विकास हुआ उसके लिए गांधीजी मुख्य रूप से ब्रिटिश शासकों को ही दोषी ठहराते थे। म. गांधी भारतवर्ष को एक पक्षी तथा हिंदुओं और मुसलमानों को उसके दो पंख बताया करते थे। सन, 1924 में उन्होंने कहा था, “आज से दोनों पंख अपंग हो गए हैं, और पक्षी आकाश में उड़कर स्वतंत्रता की आरोग्यप्रद व शुद्ध हवा लेने में असमर्थ हैं।” स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब सम्पूर्ण भारत सांप्रदायिक उपद्रवों की, ज्वालासें भस्मिभूत होने लगा, तब उन्होंने अपनी ढलती आयु और स्वास्थ्य की परवाह न करते उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों, बिहार और नोआखाली की पैदल यात्रा की। तथा सांप्रदायिकता की आग पर पानी डालने का प्रयास किया। 13 जनवरी से 18 जनवरी 1948 तक सांप्रदायिक एकता के लिए ही, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम प्रवास किया था। यह उनके सार्वभौम व्यक्तित्व का ही फल था कि, स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार देश में धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्र की नींव रखने में समर्थ हो पायीं।⁵

महात्मा गांधीकी सर्वोदय दृष्टि :-



सर्वोदय का अर्थ है, सबका उदय और सबके द्वारा उदय। महात्मा गांधीने सबसे पहले सर्वोदय का व्यापक रूप से वर्णन किया। रस्किन की पुस्तक “अन टू दि लास्ट” ने गांधी पर आत्यधिक प्रभाव डाला। गांधीजीने इस पुस्तक का “सर्वोदय” नाम से गुजराती में अनुवाद किया। हिंदू दर्शन की प्रमुख बात है, “सर्वे सुखिनः सन्तु” इसे ही गांधीजीने सर्वोदय दर्शन में व्यक्त किया है। उन्होंने सर्वोदय का अर्थ मानव कल्याण से समझा। गांधीजी के समाज परिवर्तन का उद्देश्य शोषण पर आधारित संस्थाओं को नष्ट कर एक आदर्श समाज की रचना करना था। जिसका आधार अहिंसा हो। व्यक्ति स्वतंत्रता समानता और मर्यादा सुरक्षित हो तथा आपस में सभी के मध्य प्रेम और सहयोग की भावनाएँ हो। गांधीजी द्वारा एक ऐसे समाज की कल्पना की गयी, जो मानव कल्याण से भरा है, जहाँ समानता हो। तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। उनके सर्वोदय में भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन, आर्थिक विकेंद्रीकरण यह विविध बाते अंतर्भूत थी। गांधीजीने स्वयं सर्वोदय पद्धति का अभिनव प्रयोग आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के काम को सर्वोदय के रास्तेपर आगे बढ़ाया होता। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व गांधीजीने कहा था, “मेरे काम की सही शुरुआत तो अब हो रही है और अपना ध्येय पूरा करने के लिये में सच्चा सौ वर्ष जीना चाहता हूँ।” उनकी मृत्यु के बाद विनोबाने वही खोज आगे बढ़ायी।⁶

आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था :-

गांधीजी अपने स्वराज में आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था चाहते थे यदि हमें स्वराज की रचना अहिंसक तरीके से करनी हो तो, गाँवों को उनका स्थान देना होगा। ग्राम स्वराज के आधार पर ही गाँव आत्मनिर्भर बन सकता है। ग्रामों का पुर्नगठन करना यह उनके रचनात्मक कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य था। उनकी मान्यता थी कि, आदर्श समाज में रेलें, अस्पताल, मशीनरी, सेना और न्यायालय नहीं होंगे लेकिन स्वराज में ये सभी संस्थाएँ अपना कार्य करेंगी।⁷ वे कहते थे कि, “मैं जानता हूँ कि एक आदर्श गाँव का निर्माण उतना ही कठिन है जितना कि आदर्श भारत का निर्माण है। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति एक गाँव को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकता है, तो वह न केवल सारे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नमूना पेश करेगा। स्वाधीनता नीचे से शुरू होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव में गणतंत्र या पंचायत होगी जिसे समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपने मामले की देखरेख स्वयं करने पड़ेगी। जिसमें कोई निरक्षर, बेरोजगार नहीं होगा, हर एक के पास भरपूर काम और पौष्टिक भोजन होगा। हवादार मकान तन ढकने के लिये पर्याप्त खादी तथा सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता के नियमों का ज्ञान होगा और वे उनका पालन करते होंगे। अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में पड़ोसियों पर निर्भर नहीं होंगे। गाँव के मंच, स्कूल और सभागार होगा। उसका अपना जल स्थान होगा,

जो स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। बुनियादी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य होगी। आज जैसी जातियाँ जिनमें न्युनाधिक छूआछूत प्रचलित है, समाप्त हो जाएंगी। गाँव का शासन पाँच व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा प्रतिवर्ष चुनी जाएगी। पंचायत राज में केवल पंचायत का ही आदेश चलेगा और पंचायत अपने ही कानूनों के मुताबिक काम करेगी। इस तरह आदर्श गाँव को देखने के लिये लोग आएँ और आपसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे।”⁸

राष्ट्र के लिये शिक्षा की अवधारणा :-

गांधीजी शिक्षा के विषय में कहते थे, “आदमी साक्षरता अथवा विद्वत्ता से आदमी नहीं बनता बल्कि सच्चे जीवन के लिए ली गई शिक्षा से बनता है। वयस्क मताधिकार के साथ –साथ अथवा उससे भी पहले सर्वजनीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसका पुस्तकीय होना अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे दिमागों को कंगाल बना दिया है, कमजोर कर दिया है और उन्हें साहसी नागरिकता के लिए भी तयार नहीं किया। हमारे बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे श्रम को हेय समझने लगे। मेरी धारणा है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा केवल हाथ, पैर, नेत्र, कान, नाक आदि शारीरिक अंगों के उचित व्यायाम एवं प्रशिक्षण से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चों को उसके शारीरिक अंगों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की शिक्षा देना ही उसकी बुद्धि का सर्वोत्तम और शीघ्रतम विकास करने की विधि है।” दस्तकारी की शिक्षा केवल यांत्रिक रूप से न दी जाए, बल्कि वैज्ञानिक विधि से दी जाए अर्थात् बच्चे को हर प्रक्रिया के बारे में यह मालूम होना चाहिए कि, वह किसलिए है। म. गांधी की नयी तालीम पद्धति जीने की कला की पक्षधर है। शिल्प, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा इन चारों का एक सुंदर मिश्रण है। अध्यापक और शिष्य दोनों को सिखाने और सिखने की प्रक्रिया में समृद्ध बनाती हैं। तथा यह राष्ट्र को रोजगार ढूंढने के झंझट से मुक्ति दिलाती है। उनका विचार था कि, विश्वविद्यालयी शिक्षा का बुनियादी शिक्षा के साथ समन्वय किया जाना चाहिए। स्त्रियों को भी पुरुषों के समकक्ष शिक्षा सुविधाएँ मिलनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उन्हें विशेष सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए। प्रांतीय भाषाओं को हर किंमत पर उसका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। मातृभाषा मनुष्य के मानसिक विकास के लिये उसी प्रकार स्वभाविक है, जिस प्रकार माँ का दूध शिशु के शरीर के विकास के लिये सर्वोत्तम है।⁹

अस्पृश्यता निवारण :-

म. गांधीने अशुष्यता निवारण के लिये जो , अविरत संघर्ष किया वह उनके राष्ट्र निर्माण संबंधी सबसे प्रभावशाली कृत्यों में से एक है। गांधीजी ने अछुतों को “हरिजन” नाम दिया था। उन्होंने “हरिजन सेवक संघ” की स्थापना की और उनके निर्देशन से ठक्कर बाप्पा जैसे नेता एवं सेकडों स्वयसेवकोंने गांवों में जाकर हरिजनों को अशुष्यता के दलदल से निकालने का प्रयास किया। उन्होंने सवर्ण हिंदूओं के हृदय परिवर्तन के लिए “हरिजन” नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। हरिजन का प्रथम संस्करण फरवरी, 1933 में अंग्रेजी में और बाद में बंगाली, हिंदी, गुजराती में भी निकाला। 30 सितम्बर 1932 को “हरिजन सेवक संघ ” की स्थापना हुई। घनश्यामदास बिरला इसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर सचिव बनाए गये। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा गया। अछुतों के उत्थान के लिये 25 लाख रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। उस समय के भोपाल के नवाब ने 5000/- रुपयें दान में दिया तथा घनश्यामदास बिरला ने भी 2500/- रुपयें दान में दिये। इस राशि को इकट्ठा करने का कार्य स्वयं महात्मा गांधीने किया।¹⁰ उन्हें यह कहते हुए संकोच नहीं होता था कि, “यदि हिन्दू धर्म ने अशुष्यता को नहीं त्यागा तो उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है।” दलित जनों के प्रति उनके हृदय में जो प्रगाढ़ प्रेम था, निम्न उद्धरण उसका एक परिचय है, “मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन यदि मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़े तो मैं एक अछुत के रूपमें जन्म ग्रहण करना चाहूँगा, ताकि मैं उनके क्लेशों तथा अपमानों में भाग ले सकूँ और इन दयनीय परिस्थितियों से स्वयं अपने को तथा उन्हें उभार सकूँ।”¹¹

आर्थिक विकेंद्रीकरण :-

गांधीजी समस्त प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण चाहते थे। लोगों की सहमति से ही सरकार संचालन होगा। इसप्रकार से वे राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे ताकि , हर छोटा व्यक्ति बिना किसी सामाजिक , राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव से पूर्ण स्वतंत्रता , समानता और सामाजिक न्याय का उपयोग कर सके। राष्ट्रीय आत्मशासन का समाज के समस्त वर्ग जैसे किसी बाधा के बगैर जब उपभोग करेंगे तभी स्वराज प्राप्त होगा। राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण है कि , व्यक्ति अपने आप नियंत्रित रहे। प्रतिनिधी की जरूरत ही न रहे , यह सुसंस्कृत अराजकता की अवस्था होंगी , जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। आदर्श स्थिति में राज संस्था ही नहीं रहेंगी तो फिर राजनैतिक सत्ता कहाँ से आएगी। जब तक भारतीय अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं प्रयासों द्वारा करने की सतत स्थिती में नहीं होंगे। तब तक जन सत्तावादी स्वराज नहीं आ सकता , ऐसा वे मानते थे। वे कहते थे कि, “मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। जीवन की वे सामान्य सुविधाएँ गरीबों को



भी अवश्य मिलना चाहिये, जिनका उपभोग अमीर करता है। हमारा स्वराज तब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक वह गरीबों को समस्त सुविधाएँ देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।”¹²

निष्कर्ष :-

महात्मा गांधी बीसवीं सदी के सबसे अधिक प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वाधीन भारत की कल्पना की और उसके लिये, कठिन संघर्ष किया। स्वाधीनता से उनका अर्थ केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति का नहीं था। बल्कि गरिबी, निरक्षरता और अशुभ्यता जैसी बुरायों से भी मुक्ति का सपना वे देखते थे। वे चाहते थे कि, देश के सारे नागरिक समान रूप से आजादी और समृद्धि का सुख पा सके। उनके बहुत से परिवर्तनकारी विचार जिन्हें उस समय असंभव कहकर परे कर दिया गया था। आज न केवल स्वीकार किये जा रहे हैं, बल्कि अपनाएँ भी जा रहे हैं। आजादी के बाद राष्ट्र को विकास की दिशा में अग्रेसर होने के लिये रामराज्य की संकल्पना, स्त्रियों का पुनरुत्थान, सांप्रदायिक एकता, आर्थिक विकेंद्रीकरण, नई शिक्षा की अवधारणा, सर्वोदय दृष्टि, राष्ट्रभाषा हिन्दी की अनिवार्यता, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था इन महत्त्वपूर्ण तथ्यों को विशेष प्रकार से राष्ट्र चिंतन में उन्होंने समाविष्ट करने का सपना देखा था। आज इक्कीसवीं सदी में गांधीजी के विचार राष्ट्र चिंतन के विषय में कितने सार्थक और उपयोगी थे और है, यह सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मशरुवाला किशोरलाल, सं. 2008, 'गांधी विचार दोहन', सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पृ. 69-70
2. संपा. वियोगी हरि, चतुर्वेदी बनारसीदास, सं. 1966, 'गांधी व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव', ग्राम भावना प्रकाशन पट्टीकल्याणा, (करनाल), पृ. 89
3. चौरसिया डॉ. सुनीता, प्रथम सं 2014, 'गांधी और राष्ट्रभाषा हिन्दी', कल्पना प्रकाशन, पृ 75-87
4. मोदी नृपेन्द्र प्रसाद, प्रथम सं. 2007, 'गांधी दृष्टि', मानक पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. 132-133
5. गुप्ता विश्वप्रकाश, गुप्त मोहनी, द्वि. सं. 2006, 'महात्मा गांधी, व्यक्ति और विचार', राधा पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. 81
6. सिंह मनोजकुमार, चौधरी शैलेश कुमार, प्रथम संस्करण 2007, 'भारतीय राजनितिक चिन्तक', महात्मा गांधी, नई दिल्ली, पृ. 144-146



7. सिंह मनोजकुमार, आशुतोष कुमार, प्रथम सं. 2007, 'महात्मा गांधी-एक अवलोकन', के. के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 90
8. संपा. प्रभु आर के, राव. आर, सं. 1994, 'महात्मा गांधीके विचार', नॅशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 377-375
9. वही पूर्वोक्त पृष्ठ 377-381
10. गुप्ता द्वारका प्रसाद, प्र. सं. 2008, 'महात्मा गांधी और अश्रुयता', ज्ञान भारती प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 100-127
11. गुप्ता विश्वप्रकाश, गुप्त मोहिनी, द्वि. सं. 2006, 'गांधी व्यक्ति और विचार', राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 181
12. सिंह मनोजकुमार, आशुतोष कुमार, प्रथम सं. 2007, 'महात्मा गांधी-एक अवलोकन', के के पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 90

IJMRA

